

भूमि मूल्यांकन के पेज नम्बर 122 के.पी. कोड 0331 के अनुसार दर 6,000 /-रु0 प्रतिवर्गमीटर चूंकि उक्त प्लॉट नई एप्रूब्ड कॉलोनी में स्थित होने के कारण रेट सूची में वर्णित सामान्य निर्देश 8 के अनुसार 20 प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि करके यानि 7,200 /-रु0 प्रतिवर्गमीटर

कुल स्टाम्प का योग -/-रु0 पुरुष

लेखपत्र का प्रकार - बैनामा रजिस्ट्री

बाजार मूल्य -/-रु0

विक्रय मूल्य -/-रु0

मौजा - मैरी

कॉलौली - ईस्ट वैली, झांसी

वार्ड नम्बर - 10

मापन की इकाई - वर्गमीटर

सम्पत्ति का क्षेत्रफल - वर्गमीटर

सडक की स्थिति - विक्रित प्लाट कानपुर - ग्वालियर बाईपास से मुस्तारा रेलवे स्टेशन जाने वाली सडक से हटकर मीटर चौड़े रास्ते पर स्थित है।

सम्पत्ति का प्रकार - आवासीय प्लाट जो आराजी नं० के जुज भाग में स्थित है।

चौहददी -

पूरब -

पश्चिम -

उत्तर -

दक्षिण -

प्रथम पक्ष की संख्या -

द्वितीय पक्ष की संख्या -

प्रथम पक्ष विक्रेता का नाम व पता - अशोक इन्फ्राप्रोपटीज प्रा० लि० (पेन कार्ड सं० AAKCA2686G) 143, त्रिभुवन काम्पलेक्स ईश्वर नगर मथुरा रोड नई दिल्ली द्वारा डायरेक्टर श्री शैलेन्द्र यादव पुत्र श्री राकेश यादव निवासी-184, कानपुर फोरलैन मैरी, थाना नवाबाद, तहसील व जिला झांसी हाल निवासी 130/ए सी० पी० मिशन कम्पाउण्ड, तहसील ब्र जिला झांसी (पहचान आधार कार्ड सं० 3188 3387 7210 से की गयी है) (मो० नं० 9651829082)।

द्वितीय पक्ष विक्रेता का नाम व पता -

सम्पत्ति का विवरण— आवासीय प्लॉट संख्या स्थित मौजा मैरी आबादी ईस्ट वैली तहसील व जिला झांसी जिसकी नाप मीटर X मीटर कुल नाप वर्गमीटर है उक्त प्लॉट में कोई निर्माण नहीं है। दस्तावेज हाजा के साथ प्लॉट भूखण्ड के नक्शा स्केली संलग्न है जिसमें विक्रित प्लॉट व रंग लाल से दर्शाया गया है जो बैनामा का अंश भाग है उक्त प्लॉट वक्फ वार्ड, नजूल या नगर निगम, ग्राम सभा या अन्य किसी की सम्पत्ति नहीं है। उक्त सम्पत्ति विक्रेता ने जरिये बैनामा रजिस्ट्री दिनांक..... को श्री से खरीद किया था। जिसकी रजिस्ट्री वही संख्या 1 जिल्द सं० के पृष्ठ पर क्रमांक पर कार्यालय सब रजिस्ट्रर झांसी में पंजीकृत है। प्रथम पक्ष द्वारा उक्त विक्रय पत्र के जरिये कय की गई भूमि पर आवासीय कॉलौनी ईस्ट वैली कॉलौनी, झांसी विकसित की जा रही है जिसका ले-आउट संख्या झांसी विकास प्राधिकरण झांसी द्वारा दिनांक ई० को स्वीकृत किया जा चुका है।

दस्तावेज हाजा में उत्तर प्रदेश सरकार अधिसूचना आदेश संख्या स०वि०क०नि० —

5-462/11-2006-500 (92)/2005 दिनांक 23 फरवरी 2006 के बाद आंशिक शासन अधिसूचना के क्रम में दिनांक 30.06.2006 के अनुसार स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

यह कि मैं विक्रेता उपरोक्त प्लॉट उपरोक्त का सम्पूर्ण रूप से मालिक काबिज व दखील हूँ

जो कहीं वय अथवा रहिन आदि नहीं हैं यानि हर प्रकार से जुम्लावर किफालत से पाक व साफ वरी है न ही प्लॉट के स्वामित्व के सम्बंध में कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन है न ही प्लॉट किसी जमानत ऋण, डिग्री आदि में मगफूल है अतः मैं विक्रेता अपना उपरोक्त प्लॉट वकीमत उपरोक्त में वदस्त क्रेता उपरोक्त की कतई तौर से विक्रय करता हूँ, कब्जा व दखल मालिकाना उक्त प्लॉट मुवैया आप खरीददार को बखूबी आज की तारीख से दे दिया है। अधिकार खरीददार उक्त प्लॉट मुवैया में नव निर्माण करावे, स्वयं रहे, किराय पर देवें, वय व रहन आदि करें हर प्रकार से मुन्तकिल करें यानि के उक्त प्लॉट जिस तरह से अपने इस्तमाल में लावें गर्ज यह है कि जो जी चाहें सो करें। क्रेता भविष्य में कालौनी की नियम व शर्तों का पालन करेगा तथा कालौनी रख-रखाव हेतु निर्धारित मासिक शुल्क का भुगतान करेगा। विक्रेता एवं क्रेता का कथन है कि प्रस्तुत विलेख में

मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं गया है। सभी तथ्य पूरे पूरे वर्णित किये गये हैं विक्रीत प्लॉट सरकारी सम्पत्ति नहीं है और न ही किसी भी बैंक या विभाग में बन्धक है। इस विक्रय पत्र के साथ मानचित्र एवं फोटोग्राफ में वर्णित प्लॉट विक्रय किया गया है, जिसका वास्तविक कब्जा आज विक्रेता ने क्रेता दे दिया है लिहाजा स्वेच्छा से विक्रेता एवं क्रेता द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार एवं नक्शा नवीश द्वारा की-प्लान मानचित्र के आधार पर यह विक्रय पत्र तहरीर कर दिया सनद रहे वक्त जरूरत पर काम आवें।

दिनांक -

प्रारूपकर्ता - गौरव अग्रवाल वसीका नबीस, तहसील झांसी।
अनुज्ञप्ति सं० ०२